मणिपाल हॉस्पिटल का ऑर्गन ट्रांसप्लांट पंजीकरण व नवीनीकरण प्रमाण पत्र निलम्बित

मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एन.ओ.सी. का मामला

- **इससे पहले मामले में फोर्टिस व ईएचसीसी अस्पताल का पंजीकरण और नवीनीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया गया था।**
- **मामले में एसीबी और पुलिस की ओर से जांच जारी**

जयपुर। मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी के मामले में चिकित्सा विभाग ने बुधवार को जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए उसका रजिस्ट्रेशन निलम्बित कर दिया है। गौरतलब है कि फोर्टिस और ईएचसीसी अस्पताल के बाद मणिपाल तीसरा हॉस्पिटल है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस निर्णय के बाद अब मणिपाल हॉस्पिटल में अगले आदेश तक किडनी, लिवर के ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेंगे।

चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि फर्जी एनओसी प्रकरण में संदिग्ध भूमिका के दृष्टिगत जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल को जारी पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित कर दिया गया है।

मानव अंग एवं ऊत्तक प्रत्यारोपण की प्राधिकृत अधिकारी डॉ. रश्मि गुप्ता ने बताया कि फर्जी एनओसी जारी होने का प्रकरण सामने आने के बाद इस मामले में फोर्टिस हॉस्पिटल से कार्मिक गिर्राज शर्मा को गिरफ्तार किया था। यह कार्मिक पूर्व में मणिपाल हॉस्पिटल में भी कार्यरत था।

मणिपाल में भी मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए एनओसी प्राप्त करने में इस कार्मिक की भूमिका सामने आई है। हॉस्पिटल द्वारा प्राप्त एनओसी भी संदेह के दायरे में है। एसीबी और पुलिस भी इस प्रकरण में जांच कर रही है। इसे देखते हुए मणिपाल हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया है।

उल्लेखनीय है कि फर्जी एनओसी प्रकरण में इससे पूर्व जयपुर के फोर्टिस अस्पताल एवं ईएचसीसी अस्पताल का पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित कर दिया गया था।

गौरतलब है कि गुरूग्राम में किडनी लीवर रैकेट में पकड़े गये बदमाशों को प्रोडेक्शन वारंट पर जयपुर ले आई है यहां पुलिस उनसे पूछताछ करने में जुटी है। आरोपियों से मामले में गिरफ्तार गौरव सिंह, अनिल जोशी, विनोद और गिर्राज को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की जायेगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

राज्यपाल कलराज मिश्र ने हनुमान जयंती के दूसरे दिन रामलीला मैदान से स्वर्ण मंडित हनुमानजी के मुख्य रथ की शोभायात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने संत-महंतों की उपस्थिति में मुख्य रथ पर विराजमान हनुमानजी की आरती उतारकर विधिवत पूजा-अर्चना की। रामलीला मैदान से प्रारंभ हुई हनुमान जी की शोभायात्रा में चालीस के करीब आकर्षक झांकियां शामिल हुईं।

राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों के लिए 28758 बूथों पर कल होगा मतदान

- **1.72 लाख से अधिक कर्मचारी संपन्न करवाएंगे प्रदेश में द्वितीय चरण के लोकसभा चुनाव, तैयारियां पूरी**
- **प्रदेश के करीब 2.80 करोड़ मतदाता 152 लोकसभा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे**
- **प्रदेश के 14 हजार 460 मतदान केंद्रों की लाइव वेबकास्टिंग होगी, 1768 विशेष मतदान केंद्र भी बनाए**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के दूसरे चरण में टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बासंवाड़ा, चितौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारां लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए कानून व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इन क्षेत्रों में 1.72 लाख से अधिक मतदान कर्मी मतदान सम्पन्न कराएंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। इनमें 145 पुरूष और 7 महिलाएं हैं। सर्वाधिक 18 प्रत्य़ाशी चित्तौड़गढ़ और सबसे कम 7 प्रत्य़ाशी झालावाड़-बारां लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। गुप्ता ने बताया कि कुल 28 हजार 758 मतदान केंद्रों में से चयनित 14 हजार 460 बूथों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। कंट्रोल रूम के माध्यम से इन बूथों पर निगरानी रखी जाएगी। मतदान कार्य में कुल 34 हजार 931 बैलेट यूनिट, 34 हजार 931 कंट्रोल यूनिट और 37 हजार 329 वीवीपैट मशीनें (रिजर्व सहित) उपयोग में ली जाएंगी।

गुप्ता ने बताया कि द्वितीय चरण में 28 हजार 758 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। इसमें 4778 शहरी तथा 23 हजार 327 ग्रामीण सहित 653 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। मतदान प्रोत्साहन के लिए 1768 विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से महिलाओं और युवाओं द्वारा 832-832 तथा 104 मतदान केंद्र दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3 हजार सेक्टर ऑफिसर तैनात किए गए हैं। यह अधिकारी मतदान दलों के साथ सतत समन्वय बनाकर किसी भी प्रकार की परेशानी का तत्काल निराकरण करेंगे। ईवीएम में तकनीकी खराबी के त्वरित निराकरण के लिए बेल के इंजीनियर भी मौजूद रहेंगे, जो सूचना प्राप्त होने पर शीघ्र केंद्रों पर पहुंचेंगे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के सुविधा को ध्यान में रखते हुए रैम्प, पीने के पानी, छाया, व्हीलचेयर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही, मतदाताओं की सहायता के लिए हर मतदान केंद्र पर वॉलंटियर्स भी तैनात किए गए हैं।

गुप्ता ने बताया कि मतदान के दिन सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान के लिए राज्य और जिला स्तर पर कम्यूनिकेशन टीम बनाई गई है। इस टीम में नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी मतदान केंद्रों तक मतदान दलों के पहुंचने की जानकारी, मॉक पोल होने की जानकारी, उसके बाद मतदान शुरू होने, मतदान का प्रतिशत जैसी जानकारियां मतदान केंद्रों पर नियुक्त कर्मचारियों से चर्चा कर संकलित करेंगे।

करीब 85 हजार पुलिस कर्मी सम्भालेंगे सुरक्षा का जिम्मा

- **केन्द्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कम्पनियां, होमगार्ड के 18 हजार 400 तथा बोर्डर होमगार्ड के 1600 जवानों को तैनात किया गया है**

जयपुर,(कासं)। राजस्थान में दूसरे चरण के 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिये करीब 85 हजार पुलिस अधिकारी एवं जवानों के अलावा केन्द्रीय सशस्त्र बल और विशेष सशस्त्र बल की 175 कम्पनियां, होमगार्ड के 18 हजार 400 तथा बोर्डर होमगार्ड के 1600 जवानों को फील्ड में तैनात किया गया है।

पुलिस महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने प्रदेश में शुक्रवार को लोकसभा चुनावों के दूसरे चरण में 13 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी मतदाता बिना किसी दबाव या प्रलोभन के निर्भय होकर जिम्मेदार नागरिक के रूप में लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका सजगता से निभायें। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 24 पुलिस जिलों के तहत 28 हजार 105 मतदान केन्द्र और 651 सहायक मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। इन मतदान केन्द्रों में से क्रिटिकल और कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों, होमगार्ड्स, आरएसी तथा केन्द्रीय सशस्त्र बलों के जवानों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैनात किया गया है। दूसरे चरण के पाली, जोधपुर, बाड़मेर-जैसलमेर, जालोर सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा-डूंगरपुर, चित्तौडगढ, कोटा-बूंदी, झालावाड-बारां, टोंक-सवाईमाधोपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। क्रिटीकल मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय कानून व्यवस्था की स्थिति के आंकलन के आधार पर संवेदनशील मतदान केन्द्रों की नई श्रेणी लॉ एंड आर्डर संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर भी 1-2 आरएसी के जवान या सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है।

‘आदेश की पालना क्यों नहीं’

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस निरीक्षक पद से आरपीएस जूनियर स्केल पर पदोन्नित से जुडे मामले में अदालती आदेश के कई माह बाद भी पालना नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने 2 मई को अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है। जस्टिस नरेन्द्र सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश अनिल कुमार जसोरिया की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि आदेश की पालना कर ली जाती है तो एसीएस को पेश होने की आवश्यकता नहीं है।

अवमानना याचिका में अधिवक्ता नमोनारायण शर्मा ने अदालत को बताया कि पुलिस निरीक्षक पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता को परिनिंदा के दंड के चलते वर्ष 2022-23 की आरपीएस जूनियर स्केल पद पर पदोन्नित नहीं दी थी।

शादी रद्द के बाद भी बुकिंग राशि न लौटाने पर 70 हजार रु. हर्जाना

- **अदालत ने रिसोर्ट को बुकिंग राशि के तौर पर वसूली गई 3 लाख 21 हजार रुपए 9 फीसदी ब्याज के साथ लौटाने के निर्देश दिए**

जयपुर (कासं)। जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने शादी रद्द की सूचना रिसोर्ट को कई महीने पहले देने के बाद भी बुकिंग राशि नहीं लौटाने को सेवादोष माना है। इसके साथ ही आयोग ने अचरोल बाग रिसोर्ट पर 70 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं रिसोर्ट को बुकिंग राशि के तौर पर वसूली गई 3 लाख 21, हजार रुपए 9 फीसदी ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश रामप्रसाद शर्मा के परिवाद पर दिया।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी की बेटी की शादी 25 नवंबर 2022 को होनी थी। जिसके लिए उसने 24 व 25 नवंबर को सभी सुविधाओं सहित रिसोर्ट को 12.80 लाख रुपए में फाइनल किया और बुकिंग के लिए 21 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद विपक्षी के कर्मचारी के कहने पर उसने 8 जुलाई 2022 को तीन लाख रुपए चेक से दे दिए। वहीं बाद में किन्हीं कारणों से उसकी बेटी की शादी रद्द हो गई। इस पर परिवादी ने रिसोर्ट प्रबंधन को शादी की तारीख से कई माह पहले सूचना देते हुए पूरी बुकिंग राशि लौटाने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी रिसोर्ट ने राशि नहीं लौटाई। इसे उपभोक्ता अदालत में चुनौती देते हुए जमा राशि हर्जा-खर्चा सहित विपक्षी से दिलवाए जाने की गुहार की गई। जिसके जवाब में रिसोर्ट प्रबंधन की ओर से कहा गया कि उस दौरान जयपुर में कोविड नहीं था और शादी की बुकिंग 6-7 महीने पहले ही करवानी होती है। शादी रद्द करने से उसका रिसोर्ट भी खाली रहा और उसे 9 लाख 59 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। इसलिए परिवाद खारिज कर उसे परिवादी से यह राशि दिलाई जाए। आयोग ने दोनों पक्षों को सुनकर कहा कि परिवादी ने उचित समय पर विपक्षी को सोशल मीडिया और फोन के जरिए शादी रद्द होने की सूचना दे दी थी और रिसोर्ट प्रबंधन के पास अन्य बुकिंग का पर्याप्त समय था। इसलिए वह परिवादी की राशि ब्याज सहित लौटाए व उसे अलग से हर्जाना भी अदा करे।

मारवाड़ के छद्म गांधी के चेहरे पर से नकाब उतर गया : राजेन्द्र राठौड़

- **पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा के आरोपों के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने निशाना साधा**

जयपुर। विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन सरकार के मुखिया पर फोन टैपिंग के जो आरोप लगाये हैं उससे मारवाड के छद्म गांधी के चेहरे पर से नकाब उतर गया है।

राठौड़ ने कहा कि यह राजस्थान की राजनीति के इतिहास में पहली घटना थी जब किसी सरकार के मुखिया ने अपनी कुर्सी बचाने के खातिर सारे नियमों को ताक पर रखकर अवैधानिक ढंग से जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करवाये थे। यह तो वो ही बात हुई कि उम्र भर ग़ालिब यही भूल करता रहा,धूल चेहरे पे थी आइना साफ़ करता रहा। राठौड़ ने कहा कि फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर तत्समय नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में मेरे सहित विपक्ष के तमाम साथियों ने भी इस मुद्दे को सदन में पुरजोर तरीके से उठाया था, उस पर आज उनके ही पूर्व ओएसडी ने मुहर भी लगा दी है।

राठौड़ ने कहा कि संविधान की दुहाई की देने वाले गहलोत जी ने स्वयं सत्ता का बेजा इस्तेमाल करके विपक्ष के अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि तत्समय सत्ताधारी पार्टी के विधायकों ने भी अपनी ही सरकार पर फोन टैप के गंभीर आरोप लगाकर मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया था। कांग्रेस के काले कारनामे सबके सामने आ रहे हैं जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा।

दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष की सजा

जयपुर । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 साल की नाबालिग पीडिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त बाबूलाल को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म जैसा गंभीर अपराध किया है। यदि इसमें पीडिता की सहमति भी रही थी तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 22 सितंबर 2020 को पीडिता के पिता ने प्रागपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया कि बीती रात करीब 11 बजे पीडिता अपने कमरे में सो रही थी। इस दौरान पडोस के गांव में रहने वाला अभियुक्त बाबूलाल दीवार कूदकर घर में आ गया और पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीडिता के चिल्लाने पर वह अपनी पत्नी के साथ पीडिता के कमरे में आया तो अभियुक्त धक्का-मुक्की कर वहां से भाग गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब तीन माह से अभियुक्त पीडिता के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

शासन सचिव ने किया जल भवन का औचक निरीक्षण

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बुधवार को विभागीय मुख्यालय ‘जल भवन’ का औचक निरीक्षण किया।

- **अनुपस्थित मिले कार्मिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये**

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने बुधवार को प्रात: 9.30 बजे विभागीय मुख्यालय ‘जल भवन’ का औचक निरीक्षण किया। डॉ शर्मा ने सभी मुख्य अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों व कार्मिकों की उपस्थिति का निरीक्षण किया, जिसमें 407 में से 11 कार्मिक अनुपस्थित पाये गये तथा बिना जायज कारण के कार्यालय में समय पर उपस्थित नही होनें वाले 4 कार्मिकों वरिष्ठ सहायक राजेन्द्र प्रसाद गूर्जर तथा कनिष्ठ सहायक कूनाल सिंह डूडी, नेहा शर्मा, मुकेश मैहरा के विरूद्ध मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये । इसकी अनुपालना में मुख्य अभियन्ता प्रशासन ने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे कार्मिकों को नोटिस जारी कर दिये।

शासन सचिव ने वहां मौजूद सभी कार्मिकों को कार्यालय में समय पर उपस्थित होने की हिदायत दी। साथ ही समय से पहले कार्यालय नही छोड़ने के लिए भी निर्देश किया। डॉ. शर्मा ने इसके पश्चात अनेक अधिकारियों और कार्मिकों के कक्ष में जाकर उनके द्वारा निस्तारित की जाने वाली फाईलों की समीक्षा की एवं कुछ अधिकारियों के कम्प्यूटर के इन बाक्स खुलवाकर उसमें पेन्डिंग ई-फाईल्स की जॉच की। उन्होंने समस्त फीजीकल फाईलों को इलेक्ट्रॉनिक फाईलों में परिवर्तित करने के निर्देश दिये एवं समस्त प्राप्त फाईलों को उसी दिन निस्तारित करने के निर्देश प्रदान किये।

विभाग के शासन सचिव ने सिरोही जिले में पाली संभागीय आयुक्त डॉ प्रतिभा सिंह द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृत कार्यालय के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाये गये 13 अधिकारियों/ कर्मचारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

समित शर्मा ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देशानुसार विभाग ने अधिकारियों एवं कार्मिकों की कार्यस्थल पर समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु राज ए. एम. एस. मोबाईल आधारित मार्क इन एवं मार्क आउट की व्यवस्था लागू करने हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिये है। अब तक कुल 1101 कार्यालयों एवं उनमें कार्यरत 5102 अधिकारियों-कार्मिकों की मैपिंग भी की जा चुकी है। विभाग द्वारा अधिकारियों और कार्मिकों को इसके उपयोग की जानकारी देकर ट्रायल का कार्य चल रहा है। प्रतिदिन लगभग 4000 कार्मिकों द्वारा इसके माध्यम से सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति मार्क की जा रही है। आज आयोजित विडियो कॉन्फेसिंग में इस व्यवस्था को 1 मई से लागू करने का निर्णय लिया गया है।

रिटायर शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया?

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 मई 2023 को रिटायर हुए शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, प्रमुख वित्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और पेंशन निदेशक से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि जब राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम, 2017 के नियमों में प्रावधान बना हुआ है तो फिर याचिकाकर्ता रिटायर शिक्षकों को आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ क्यों नहीं दिया गया। जस्टिस गणेश राम मीणा ने यह आदेश केशर देवी व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक 31 मई, 2023 को रिटायर हुए थे और उन्हें पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एक जुलाई 2022 से दिया गया। वहीं 11 महीने की सेवाएं देने के बाद भी उन्हें आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन नियम, 2017 के नियमों में प्रावधान है कि कर्मचारी पिछली वार्षिक वेतन वृद्धि से छह महीने की सेवा पूरी करने के बाद ही आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए योग्य हो जाता है। याचिकाकर्ताओं का सेवाकाल 11 महीने का रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। इसलिए उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए।

आम सूचना दि. 25.04.2024

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्या देवी बाई पत्नी झमत मल, निवासी 65/326, सैक्टर नं. 6, हीरा पथ, मानसरोवर, जयपुर का पुत्र मोहन कुमार मुलचंदनी व उसकी पत्नी मीना लुहाना मेरे अभिभाष्या के कहने में नही है व आये दिन मेरे अभिभाष्या से लड़ाई झगडा करते है, जिससे मेरे अभिभाष्या को बहुत आघात पहुँचा और तोड फोड, पुलिस केस जैसे अपमानजक कृत्य के कारण घोर आघात लगा इस कारण आज के पश्चात मेरे अभिभाष्या अपने पुत्र व पुत्रवधु को अपनी जिन्दगी, परिवार, सभी अधिकारो से, चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करती है भविष्य में इनका चल अचल सम्पत्ति में कोई हिस्सा नही होगा। यदि कोई भी मेरे अभिभाष्य की पुत्र व पुत्रवधु के साथ लेन-देन व व्यवहार करता है तो मेरे अभिभाष्या की कोई जिम्मेदारी नही होगी। **नरेन्द्र यादव (एडवोकेट) 9672730730**

सूचना

मेरे पिता श्री रामचन्द्र पुत्र श्री गोपाल कुम्हार निवासी धांधोली तह. दूदू वर्ष 1994 से लापता है। आजतक कोई सुराग नहीं मिला वर्ष 1994 में दूदू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करायी गई थी। राजस्व रिकार्ड में पुत्र होने के नाते परिवर्तन नामान्तरण करवा रहा हूँ। किसी पक्ष को आपत्ति हो तो 15 दिवस में सम्बन्धित जगह आपत्ति पेश करें बाद में मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(हनुमान प्रजापत) निवासी धांधोली

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

क्रमांक-945 दिनांक-24.04.2024

जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 65/04 (HIG) (एरिया 236.25 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री केवल कृष्ण बहल पुत्र श्री लाला भगतराम बहल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1247 दिनांक 07.12.1991 को जारी किया गया। श्री कप्तानसिंह पुत्र श्री देवा सिंह के पक्ष में उक्त आवास/फ्लैट का नियमितिकरण पत्र क्रमांक 290 दिनांक 30.03.2000 के द्वारा किया गया। श्री कप्तान सिंह के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 26.08.2002 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री कप्तान सिंह की मृत्यु दिनांक 18.01.2022 को हो जाने के कारण इनके वारिस 1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री कप्तान सिंह, 2. श्री विक्रम सिंह पुत्र स्व. श्री कप्तान सिंह, 3. श्रीमती पुष्पा सेजवाल पत्नी श्री बलराज सेजवाल, 4. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री दयाल राम जाखड 5. श्री चैतन्य सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार, 6. श्रीमती विभु पत्नी स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह, 7. कुमारी हर्षिता पुत्री श्री वीरेन्द्र सिंह द्वारा उक्त आवास/फ्लैट को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकार्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।1. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री कप्तान सिंह, 2. श्री विक्रम सिंह पुत्र स्व. श्री कप्तान सिंह, 3. श्रीमती पुष्पा सेजवाल पत्नी श्री बलराज सेजवाल, 4. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री दयाल राम जाखड 5. श्री चैतन्य सिंह पुत्र श्री कृष्ण कुमार, 6. श्रीमती विभु पत्नी स्व. श्री वीरेन्द्र सिंह, 7. कुमारी हर्षिता पुत्री श्री वीरेन्द्र सिंह का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।

सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

खोया-पाया

मै विकास सोमानी पुत्र श्री सुरेश सोमानी मेरा एक बैग (फोलडर) जिसमें 50 से अधिक खाली हस्ताक्षरित स्टांप पेपर व कागज, पाई पेपर 10-15 चेक हस्ताक्षरीत बिना दिनांकित, प्रोपर्टी दस्तावेज की फोटो प्रतिया व कुछ अन्य दस्तावेज कोरोना काल में मेरे कार्यालय 95 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड जयपुर से 67/80 प्रताप नगर स्थित कार्यालय के बीच रास्ते में कहीं खो गए थे मिलने पर सूचित करें।

विकास सोमानी, एडवोकेट, मो. 9672434343

नाम परिवर्तन

मैं विपिन मनूडी सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम विपिन से बदलकर विपिन मनूडी पुत्र श्री जानकी प्रसाद रख लिया है।

मैंने भविष्य के सभी उद्देश्यों के लिए अपना नाम शिवदयाल सिंह से बदलकर शिवदयाल सिंह राठौड (Shivdayal Singh Rathore) पुत्र इन्द्र सिंह रख लिया है। पता-ए-520, स्वीट होम, आनंदलोक-1, कालवाड, झोटवाडा, जयपुर-12

मैं ओमी रतनू पत्नी आर्मी नंबर 15162495F हवलदार बीजु दान यूनिट 199 मीडियम रेजिमेट से मेरे पति, सैन्य दस्तावेज में मेरी जन्म तिथि 05.05.1983 है। जो कि गलत है। मेरी सही जन्म तिथि 02.02.1987 है।

I Mamta Devi w/o Hav Shri Ram Swami Service no- 15689878A R/O Ward no. 9, village- Bhadwari, Tehsil- Khandela, District- Sikar Rajasthan- 332708 have changed my Name from Mamtha Devi to Mamta Devi in all service records of my husband for all future purposes.

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस

समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को

मुकदमा नम्बर 141/2024

(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमति शोभा शर्मा पत्नी श्री प्रेम नारायण शर्मा निवासी डी-4/105-ए, 200 फीट बाई पास, चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत स्टुडेन्टस रिलिफ सोसायटी (एस.आर. सोसायटी) डी-4/105-ए, 200 फीट बाई के पास, चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड, जयपुर प्रन्यास के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 26.06.2024

मोहर अदालत

आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर

सम्मन बनाम मुद्दायलह बिनावर कायमी तनकीया

(ऑडर 5 रूल 1 व 5 जाप्ता दिवानी)
(Civil Procedure Appendix "B" From No. 2)
अज अदालत- श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय (कनिष्ठ खण्ड) बांसवाडा राजस्थान
वादीगण- राजेन्द्र वगैरह बनाम प्रतिवादीगण- वैभव जैन वगैरह
CO दीवानी वाद संख्या 16/2024
दावा बाबत- वाद बाबत जारी किये जाने स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
(बनाम)

मुस्म्मी- 1. वैभव जैन पुत्र स्व. सुरेशचन्द्र जैन जाति जैन निवासी विश्वैश्वरसरैया नगर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, लाल कोठी, जयपुर राजस्थान, 2. गौरव जैन पुत्र स्व. सुरेशन्द्र जी जैन जाति जैन निवासी एकमे हाईट डी.सी. हॉस्पिटल के पीछे, त्रिवेणी नगर, जयपुर राजस्थान 3. श्रीमती पुष्पा पत्नी स्व. सुरेशचन्द्र जैन जाति जैन निवासी विश्वैश्वरसरैया नगर, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, लाल कोठी, जयपुर राजस्थान

...हर गांव कि वादीगण ने आपके खिलाफ एक दावा इस न्यायालय में दायर किया है, लिहाजा आपको बजरिये इस तहरीर के दावे को जवाबदेही के लिए तारीख 30 माह 04 सन् 2024 7.00 ए.एम. बजे दिन के अदालत हाजा में असालतन मुकदमे का जवाब दे सके या जिसके साथ ऐसा शख्स हो जो ऐसे सवालात का जवाब दे सके हाजिर होने के लिए तलब किया जाता है और आपको हिदायत दी जाती है कि जुलमा दस्तावेज जिल पर आप अपना जवाबदेही की ताईद में इस्तदलीन चाहते हो उस दिन पेश करों। आगाह रहे कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न हुए तो दावा आपके गैर हाजिर में सुना वो फैसला किया जावेगा। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 22 माह 04 सन् 2024 को जारी किया गया।

मोहर अदालत

सिविल न्यायाधीश
बांसवाडा, राजस्थान

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: श्रीटावर्स , प्लॉट संख्या 14 ए , साउथ फेज, इंडस्ट्रियल स्टेट, गुंदी, चेन्नई- 600032 तमिलनाडु
शाखा कार्यालय:- रोडवेज डिपो के सामने, प्रीमियर टावर, प्रीमियर ग्लास हाउस के ऊपर, आगरा रोड, दौसा- 303303 राजस्थान

प्रतीकात्मक कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के प्रावधानों के तहत और धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत अधिकारी है। सुरक्षाहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पढ़े गए उक्त अधिनियम के तहत उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए गए, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है, ताकि उक्त मांग नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाई जा सके।

उधार कर्ताओं द्वारा ऋण राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधार कर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षर कर्ता ने धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रैल 2024 के इस 16 वें दिन नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। जो की उक्त अधिनियम एवं उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ा गया।

उधारकर्ता का नाम और पता	मांग पत्रके अनुसार देय राशि	संपत्ति का विवरण
1). मैसर्स जगदम्बा मां टायर्स का प्रतिनिधित्व मालिक इंद्राज सिंह गुर्जर पुत्र दर्शन सिंह गुर्जर, नादौती रोड श्रीमहावीरजी हिंडौन सिटी, तहसील- हिंडौन, करौली -322220, राजस्थान इंद्राज सिंह गुर्जर पुत्र दर्शन सिंह गुर्जर, बालाजी मंदिर के पास, नोरंगाबाद, श्रीमहावीरजी, तहसील- हिंडौन, करौली- 322220 राजस्थान (उधारकर्ता) 2). दर्शन सिंह गुर्जर पुत्र नंगूराम गुर्जर, अकबरपुर, श्रीमहावीरजी, तहसील- हिंडौन, करौली- 322220, राजस्थान 3). रूप सिंह पुत्र रामसहाय अकबरपुर, श्रीमहावीरजी, तहसील-हिंडौन, करौली-322220, राजस्थान 4)सुमन देवी पत्नी दर्शन सिंह गुर्जर, अकबरपुर, श्रीमहावीरजी, तहसील- हिंडौन, करौली- 322220, राजस्थान (सहउधारकर्ता)	ऋण खाता संख्या :- CDDASTF2001300006 डिमांड नोटिस दिनांक :-08-02-2024 के संदर्भ में रूपए Rs-30,91,848/- (तीस लाख ईकरांनवे हजार आठ सौ अड़तालीस रुपये मात्र) का भुगतान करने के लिए	वह सभी खसरा नंबर -2439, 239.19 वर्गगज या 200 वर्गमीटर का क्षेत्रफल या 0.020 हेक्टेयर आयताकार ग्राम अकबरपुर, देवनारायण चोराहा के पास, श्रीमहावीरजी, पटवार हल्का नौरंगाबाद, तहसील- हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान में स्थित है और निम्नानुसार घिरा हुआ है। खसरा संख्या- 2439 की सीमाएँ इस प्रकार हैं :- उत्तर की ओर : रूप सिंह की संपत्ति दक्षिण की ओर : संपत्ति दर्शन सिंह गुर्जर पूर्व की ओर : नादौती रोड पश्चिम की ओर: दर्शन सिंह गुर्जर की संपत्ति

यह नोटिस बड़े पैमाने पर आम जनता को सावधान करने के लिए भी है कि श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के पास ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति का वैध प्रतीकात्मक कब्जा है और उधार कर्ता या कोई भी व्यक्ति श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना उल्लिखित उपरोक्त किसी भी संपत्ति को पट्टे पर देना/ विक्रय करना या अन्यथा निपटान अथवा अलग करना इस नोटिस की प्राप्ति के बाद बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेगा।

Sd/-

स्थान: दौसा
दिनांक: 25-04-2024

अधिकृत अधिकारी
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड